न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्या :– 63/2022
जीसीएमएस संख्या :– 2022/324 निर्णय दिनांक: 24-10-2025

1. लाभुसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी पुदंलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. संवाईसिंह पुत्र मुकंदसिंह जाति राजपूत निवासी पुंदलसर तहसील श्रीडूंगरगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 12–07–2022
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूगरगढ, बीकानेर

उपस्थितः–
1. श्री सत्यपाल साहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेश चन्द्र व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ के आदेश दिनांक 12–07–2022 जिसके द्वारा गैर कानूनी तरीके से स्वीकृत किया गया बमुराद मन्सुखिया के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नंबर 70 तादादी 6.42 हैक्टेयर अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें कोई कटानी या अन्य चालू रास्ता मौके पर स्थित ना होने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल कि है। अपीलांट के खसरा नंबर 70 की उतरी सीमा पर सींव के साथ साथ खसरा नंबर 74 में मार्ग चालू है। जो रेस्पोडेंट के खेत खसरा नंबर 67 की उतरी सींव पर खसरा नंबर 42 व 44 में चालू है। जिसपर रेस्पोडेंट का खेत खसरार नंबर 67 के उतरी पूर्वी सींव पर 10 फीट की दूरी पर प्रचलित मार्ग उपलब्ध है। इस प्रकार रेस्पोडेंट के खेत से 10 फीट की दूरी पर चालू रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर नया रास्ता स्वीकृत किया है अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे।

2. अधिवक्ता रेस्पोरडेंट ने जवाब बहस में कथन किए कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अनेक अवसर व अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। ऑर्डर 8 रूल 3 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र 251 ए का जवाब ना दिया जाना इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों की अभिस्वीकृति की श्रेणी में आता है। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1981 आरआरडी पेज 295 प्रस्तुत किये। प्रार्थी/रेस्पोंडेंट के खेत खसरा नंबर 67 को कोई रास्ता नहीं लगता है। तहसीलदार की रिपोर्ट से यह साबित है कि हमारा खेत मौके पर खाली पडा है। इसमें फसल काश्त नहीं है रास्ते के अभाव में हम फसल काश्त नहीं कर पा रहे है। रास्ते कि आत्यंतिक आवश्यकता को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसकी पालना की जाकर इन्तकाल दर्ज किया जा चुका है एवं नक्शे में भी रास्ते का अंकन किया जा चुका है। अतः अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

3. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नांकित बिन्दूओं पर विचारण किया जाना है–

01. क्या अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 69 की पालना में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है?

02. क्या अपीलाधीन आदेश पारित करते समय रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव के बिन्दूओं पर विचारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है?

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

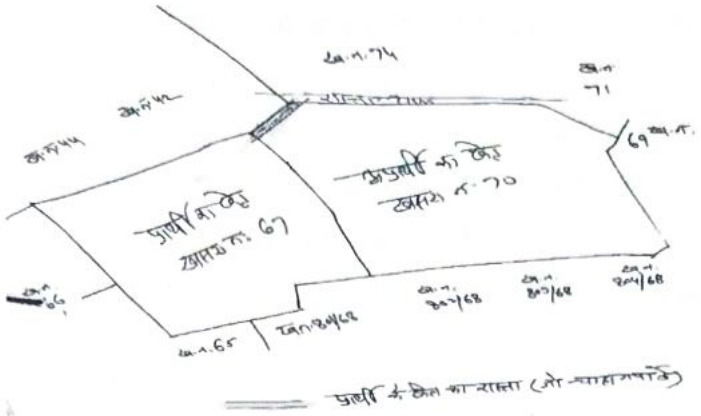

अधिनस्थ न्यायालय की पैत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया मौका रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरिक्षक के हस्ताक्षर अंकित है। मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरक्षक द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाना प्रकट होता है अतः मौका रिपोर्ट नियम 69 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाना परिलक्षित होता हैं।
प्रकरण में रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता के बिन्दू पर विनिश्चिय किया जाना है। फर्द मौका रिपोर्ट में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि मौके पर खसरा नंबर 70 में चना व सरसों की फसल काश्त है तथा खसरा नंबर 67 में कोई फसल काश्त नहीं है। खसरा नंबर 70 अपीलांट का है जबकि खसरा नंबर 67 रेस्पोडेंट का है। चिपते हुए खेतों में अपीलांट के खेत में जंहा फसल काश्त है वहीं रेस्पोंडेंट/प्रार्थी के खेत में फसल काश्त नहीं है। इससे रेस्पोंडेंट/प्रार्थी के खेत हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने की उपधारणा की जाती है एवं रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता का बिन्दू प्रार्थी/रेस्पोंडेंट के पक्ष में साबित होता है।

मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खसरा नंबर 67 को कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रचलित रास्ता उतरी पूर्वी कौने से 10 फीट दूर स्थित है। रेस्पोडेंट व अपीलांट के खेत खसरे आपस में चिपते हुए है ग्राम पुन्दलसर से खेतों की तरफ आने पर पहले अपीलांट का खसरा नंबर 70 आता है उससे चिपता हुआ खसरा नंबर 67 है अपीलांट जिस रास्ते से अपने खसरा नंबर 70 में प्रवेश करते है रेस्पोडेंट द्वारा भी वहीं से अपने खेत में प्रवेश करने हेतु रास्ता चाहा गया है इस स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस रास्ते को स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. अतः उक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 69 की पालना में मौका रिपोर्ट मंगवाते हुए रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ का आदेश दिनांक 12—07—2022 यथावत बहाल रखा जाता है

5. निर्णय आज दिनांक 24-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर